

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमांक :- एफ 1 ( ) /राज.अव./सामान्य/2024/336

दिनांक- 06/01/2025

-आदेश-

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक: शिविरा-मा/मा-स/22418/शिविरा पंचाग/2024-25-18074 दिनांक 06.01.2025 एवं मीरम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीतलहर एवं बढ़ती हुई ठंड को देखते हुये जिले में ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 08.01.2025 तक जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीतलहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मध्यनजर विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं डॉ० सौम्या झा, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण टोंक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये टोंक जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 08.01.2025 तक का अवकाश घोषित करती हूँ। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिये लागू रहेगा। शेष स्टाफ सहायत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को आदेशित किया जाता है की वे इस आदेश की अवकाश पालना करना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान निर्धारित समय के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ० सौम्या झा )  
जिला कलेक्टर,  
टोंक

दिनांक- 06/01/2025

क्रमांक :- एफ 1 ( ) /राज.अव./सामान्य/2024/337-46

प्रतिलिपि- सूचना एवं अनुपालनार्थ

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी टोंक।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक टोंक को आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
7. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला टोंक को पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,  
टोंक

Signature valid

Digitally signed by Saurmya Jha  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.01.06 10:30:10 IST  
Reason: Approved

